संख्या 5899/आठ–3–08–181 विविध/2008

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 20 नवम्बर, 2008

विषय : भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्रारूप का शासन द्वारा अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्याः 5416/8–3–08–181विविध/2008 दिनांक 14.11.208 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के माध्यम से जारी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्रारूप में प्रदेश के विभिन्न नगरों में निर्माणाधीन/पूर्व निर्मित भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था के सम्बन्ध में किए गए प्राविधानों पर प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में दिनांक 19 नवम्बर, 2008 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रस्तर–3.11.3.1 के बिन्दु संख्या–(III) जो ''पुराने निर्मित ऐसे भवन, जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं'', के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है'' :–

(क) ऐसे भवन, जो तत्समय प्रवृत्त महायोजना से आच्छादित है।

(ख) ऐसे भवन, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्मित हैं और तत्समय प्रवृत्त महायोजना से आच्छादित नहीं है।

उपरोक्त दोनों प्रकार के भवनों में पहुंच मार्ग, सेट बैक तथा फायरस्केप का प्राविधान अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अन्य 17 अपेक्षाएं 'केस–टु–केस' के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी।''

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्रस्तर–3.11.3.1 के बिन्दु संख्या––(III) को तत्सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव